Pandemic Leave Disaster Payment

(वैश्विक महामारी अवकाश विपत्ति भुगतान)

Pandemic Leave Disaster Payment (वैश्विक महामारी अवकाश विपत्ति भुगतान) एक बार मिलने वाला वो भुगतान है जो, यदि आपको या आप जिनकी देखभाल करते हैं उनको coronavirus (COVID-19) (कोरोनावायरस COVID-19) के कारण एकाँतवास (आइसोलेशन) या दूसरों से अलग (क्वारंटीन) रहना पड़ रहा है और इस कारण से आप काम करके पैसे कमाने में असमर्थ हैं तो, आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है।

आपका निम्नांकित में से किसी एक कारण से एकाँतवास (आइसोलेशन) या दूसरों से अलग (क्वारंटीन) रहना आवश्यक है:

* आपको COVID-19 है। 10 जनवरी 2022 से पहले शुरु हुई एकाँतवास (आइसोलेशन) अवधियों के लिए, किसी स्वास्थ्य अधिकारी ने सीधे संपर्क करके कहा था की आपको COVID-19 है।
* किसी स्वास्थ्य अधिकारी ने आपसे यह कहा था कि आप COVID-19 से पीड़ित किसी व्यक्ति के निकट संपर्क हैं
* किसी स्वास्थ्य अधिकारी ने आपसे यह कहा था कि आप जिस बच्चे की देखभाल कर रहे हैं (जिसकी आयु 16 वर्ष या उससे कम है) वह COVID-19 से पीड़ित किसी व्यक्ति के निकट संपर्क है
* आप COVID-19 से संक्रमित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं।
* आप किसी असमर्थ या गंभीर चिकित्सीय स्थिति वाले व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं जिनको एकाँतवास (आइसोलेशन) या दूसरों से अलग (क्वारंटीन) रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि वे COVID-19 से पीड़ित किसी व्यक्ति के निकट संपर्क हैं।

आपका उस असमर्थ या गंभीर चिकित्सीय स्थिति वाले व्यक्ति के साथ एक ही घर में रहना जरूरी है।

यह जरूरी है कि किसी दूसरे व्यक्ति की देखभाल करने के लिए आपके पास वैश्विक महामारी अवकाश, निजी अवकाश या अवकाश सहित किसी भी अवकाश के लिए उचित पात्रता नहीं है।

यदि आपको निम्नांकित में से कुछ भी मिलता है तो आपको यह भुगतान नहीं मिल सकता है:

* ABSTUDY Living Allowance (ABSTUDY लिविंग अलाउंस)
* Paid Parental Leave (पेड पेरेंटल लीव)
* Dad and Partner Pay (डैड एंड पार्टनर पे)
* JobKeeper Payment (जॉबकीपर पेमेंट)
* COVID-19 Disaster Payment (COVID-19 आपदा भुगतान)
* या कोई आय सहायता भुगताऩ।

विवरण के लिए **servicesaustralia.gov.au/incomesupportpayments** देखें।

18 जनवरी 2022 से शुरु हुई एकाँतवास (आइसोलेशन) अवधियों के लिए, आपको इस भुगतान का पात्र होने के लिए निम्नांकित दोनों मापकों को पूरा करना आवश्यक है:

* आपने 8 घंटे से अधिक का या पूरे दिन का काम खोया है
* आप जिस अवधि के लिए क्लेम कर रहे हैं उसके प्रथम दिन आपकी चल परिसंपत्ति (लिक्विड असैट्स) $10,000 से कम है।

चल परिसंपत्ति (लिक्विड असैट्स) उन निधियों को कहते हैं जो जो आपके पास नकद या बचत के रूप में सरलता से उपलब्ध है, या कोई ऐसी संपत्ति जिसे आसानी से नकद में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, दूसरे लोगों को उधार दिया गया पैसा।

आपको कितनी राशि मिल सकती है यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितने दिन की एकाँतवास (आइसोलेशन) या दूसरों से अलग रहने (क्वारंटीन) की अवधि के लिए क्लेम कर रहे हैं, और आपने कितने घंटे का काम खोया है। और अधिक विवरण के लिए **servicesaustralia.gov.au/pandemicleavedisasterpayment** देखें।

18 जनवरी 2022 से शुरु हुई एकाँतवास (आइसोलेशन) या देखभाल अवधियों के लिए, आप myGov के माध्यम से अपने Centrelink online account (Centrelink ऑनलाइन खाते( का उपयोग करके क्लेम कर सकते हैं। आपको अपनी एकाँतवास (आइसोलेशन) या देखभाल अवधि शुरू होने के 14 दिनों में क्लेम करना आवश्यक है।

यदि आपको क्लेम करने के लिए सहायता की जरूरत है तो, आप हमें **180 22 66** पर फोन कर सकते हैं। यदि आपको दुभाषिये की आवश्यकता हो तो हमें बताएँ, और हम निःशुल्क एक दुभाषिये का प्रबंध कर देंगे।

अधिक जानकारी के लिए **servicesaustralia.gov.au/pandemicleavedisasterpayment** पर जाएँ।